क्रमांक 32/342/87-जी0 एस0-I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा,
आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल,
सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी (न) हरियाणा,

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट।

दिनांक चण्डीगढ़, 10 नवम्बर, 1987

विषय :— 50/55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में रखने के केस को भेजने में त्रुटियों को दूर करना।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय की ओर मुझे आपका ध्यान दिलाने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि कुछ समय से देखने में आया है कि 50/55 वर्ष की आयु पर रिव्यू करने वाले केस जोकि अधिकारी समिति में रखे जाने होते हैं को भेजते समय प्रशासकीय विभाग कई कमियां छोड़ देते हैं जिसकी वजह से विभाग को केस पुनः लौटाने पड़ते हैं। स्पष्ट है कि ऐसा करने से केस में अनावश्यक देरी हो जाती है।

2. अब विचारोपरांत यह निर्णय लिया है कि भविष्य में रिव्यू के केस भेजते समय निम्न बातों की ओर ध्यान दिया जाए तथा इनकी सूचना साथ ही भेज दी जाये।

1. अधिकारी समिति में रखे जाने वाले केसों में ज्ञापन प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वयं बनाये जायें तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवाये जायें।

2. ज्ञापन साईक्लोस्टाईल करवाया जाये तथा 7-7 प्रतियां भेजी जायें।

3. ज्ञापन में प्रतिकूल टिप्पणी का वर्णन ज्यों का त्यों किया जाए और यह भी लिखा जाये कि अमुक अधिकारी/कर्मचारी ने इन प्रतिकूल रिमार्कस के विरुद्ध प्रतिवेदन दिया है कि नहीं।

4. यदि अनुशासनिक कार्यवाही का कोई केस लम्बित हो तो उसका विस्तृत विवरण ज्ञापन में दिया जाए तथा केस की नवीनतम स्थिति भी बताई जाये।

5. नवीनतम गोपनीय रिपोर्ट साथ लगाई जाये।

6. 55 वर्ष की आयु पर रिव्यू होने वाले केसों में यह भी बताया जाए कि क्या इस अधिकारी के केस का 50 वर्ष की आयु पर रिव्यू हुआ था कि नहीं।

7. क्या अधिकारी वर्तमान पद पर स्थाई है या अस्थाई (यदि केस 50 वर्ष की आयु पर रिव्यू के लिए भेजा जाना हो)

यह हिदायत सभी सम्बन्धित के ध्यान में ला दी जाए, ताकि इनकी पालना की जा सके।

भवदीय,
हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,